



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6123

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42047 सन् 2025

इमरान @ बबुआ @ बाबू @ फरुख

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- अज़हर हुसैन, रवितेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय सिंह, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 84 सन् 2025, बीएनएस धारा 109(1) एवं 61(2), उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के अंतर्गत, थाना रकाबगंज, जनपद आगरा में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उनका कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मांस की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया है, अतः आवेदक के मिथ्या रूप से फँसाए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा पशुओं के वध का आरोप असत्य है। उनका कहना है कि वर्तमान आवेदक के कब्जे से गो-वंश, गोमांस अथवा कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुई है। उनका कहना है कि आवेदक पशुओं की खरीद-बिक्री के व्यवसाय में संलिप्त नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के कब्जे से उक्त गोमांस की मिथ्या बरामदगी दर्शाई है। उनका कहना है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है, अतः आवेदक को और किसी अभिरक्षा-पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि आरोपित घटना का कोई स्वतंत्र अथवा सार्वजनिक साक्षी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक दिनांक 31.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है और रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में स्पष्ट किए गए बीस प्रकरणों का आवेदक का आपराधिक इतिहास है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है।

5. समस्त उन तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. अभियुक्त-आवेदक **इमरान @ बबुआ @ बाबू @ फरुख**, जो उक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।



iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

Translated Version, Not For Legal Use.